

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226010

संख्या- 67/06/विज्ञापन अनुभाग(ग्यारह)/2019/04-परीक्षा/2019

लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2019

शुद्धि-पत्र (विज्ञप्ति)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या- 04 परीक्षा/2019 द्वारा "कनिष्ठ सहायक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा- 2019" के अंतर्गत 21 विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1186 पदों के सापेक्ष चयन हेतु ऑफलाइन/ऑनलाइन लिखित परीक्षा व टंकण परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु दिनांक- 26-06-2019 से भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। तदनुक्रम में विज्ञप्ति संख्या- 64/06/ विज्ञापन अनुभाग(ग्यारह) )/2019/04-परीक्षा/2019, दिनांक- 12 जुलाई, 2019 द्वारा विज्ञापन संख्या- 04 परीक्षा/2019 की सारणी-1 में विभागों की संख्या 21 के स्थान पर 27 तथा कुल रिक्त पदों की संख्या 1186 के स्थान पर 1403 पढ़े जाने से सम्बंधित विस्तृत शुद्धि-पत्र ऑनलाइन प्रकाशित किया गया।

आयोग के उक्त विज्ञापन संख्या- 04 परीक्षा/2019 की सारणी-1 में निम्नलिखित विभागों के स्तम्भ-10 में विभाग द्वारा विकलांगजनों हेतु चिन्हांकित रिक्त पदों की संख्या के सम्मुख विकलांग कल्याण अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक- 13 जनवरी, 2011 के आधार पर विकलांगजनों की उपश्रेणी के संकेताक्षर अंकित किये गए हैं। विज्ञापन संख्या- 04 परीक्षा/2019 की सारणी-1 के स्तम्भ-10 में जिन विभागों के सम्मुख दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए "पी०बी०" तथा बधिर एवं श्रवण शक्ति में ह्रास के लिए "पी०डी०", चलन प्रक्रिया के लिए ओ०एल० तथा अन्य श्रेणियों के लिए संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है, को निम्न सारणी में विभाग के सम्मुख स्तम्भ-5 के अनुसार पढ़ा जाय-

मूल विज्ञापन का पद क्र० स०	विभाग का नाम	कुल पद (विज्ञापन की सारणी-1 के स्तम्भ-7 में उल्लिखित कुल पदों की संख्या )	विज्ञापन संख्या-04 परीक्षा/2019 की सारणी-1 के स्तम्भ-10 में विकलांगजनों हेतु रिक्त/चिन्हित पदों का विवरण)	स्तम्भ-4 में उल्लिखित विकलांगजनों के संकेताक्षरों के स्थान पर निम्नानुसार विकलांगता की उपश्रेणी के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण
1	2	3	4	5
1 (i)	परिवहन आयुक्त, उ०प्र० (संभागीय शाखा )	187	02-पी०बी० 02-पी०डी० 02-ओ०एल० 01-अन्य	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 02 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 02 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता- 02 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अन्धता सम्मिलित है -01 (उप नियम (घ) को छोड़कर)


2	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ०प्र० लखनऊ।	44	01 पी०बी०	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 01 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 00 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात.....आदि सहित चलन प्रक्रिया-00 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता.....बधिर-अन्धता भी सम्मिलित है -00
3	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र० लखनऊ।	60	01-ओ०एल०	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 00 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 00 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता -01 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता.....बधिर-अन्धता भी सम्मिलित है -00
4	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ०प्र० प्रयागराज।	66	01-पी०बी० 01-पी०डी०	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 01 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 01 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात.....आदि सहित चलन प्रक्रिया- 00 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता.....बधिर-अन्धता भी सम्मिलित है -00
5(ii)	उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय हेतु।	29	01-पी०बी०	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 01 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 00 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात.....आदि सहित चलन प्रक्रिया- 00 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता.....बधिर-अन्धता भी सम्मिलित है - 00
7(i)	कार्यालय प्रमुख अभियंता, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लखनऊ। व्यवस्थापन 'ख' वर्ग (कार्यालय प्रमुख अभियंता/ क्षेत्रीय प्रमुख अभियंता)	40	01-पी०बी०	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 01 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 00 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात.....आदि सहित चलन प्रक्रिया-00 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता.....बधिर-अन्धता भी सम्मिलित है - 00

(ii)	कार्यालय प्रमुख अभियंता, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लखनऊ। व्यवस्थापन 'ख' वर्ग (वृत्तीय कार्यालय)	119	01-पी०बी० 01-पी०डी० 01-ओ० एल० 01-अन्य	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 01 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 01 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता - 01 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता- 01 और (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अन्धता सम्मिलित है।
9	निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।	72	01-पी०डी० 01-ओ० एल०	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 00 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 01 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता - 01 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता.....बधिर-अन्धता भी सम्मिलित है - 00
10	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।	33	01- ओ० एल०	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 00 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 00 (ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता -01 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता.....बधिर-अन्धता भी सम्मिलित है -00
11	विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर महानगर, लखनऊ।	30	01- ओ० एल०	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 00 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 00 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता -01 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता.....बधिर-अन्धता भी सम्मिलित है - 00

13	कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।	26	01-ओ० एल०	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 00 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 00 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता -01 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता.....बधिर-अन्धता भी सम्मिलित है -00
14	स्थानीय निधि लेखा, परीक्षा विभाग उ०प्र०, प्रयागराज।	125	02-पी०बी० 01-पी०डी० 01-ओ० एल० 01-अन्य	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 02 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 01 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता - 01 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता-01 और (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अन्धता सम्मिलित है।
17	राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।	134	01-पी०बी० 01-पी०डी० 02-ओ० एल० 01-अन्य	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता-01 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 01 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता - 02 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता-01 और (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अन्धता सम्मिलित है।
20	समाज कल्याण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।	121	01-पी०बी० 01-पी०डी० 01-ओ० एल० 01-अन्य	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 01 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास- 01 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता - 01 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अन्धता सम्मिलित है -01

22	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।	167	02-पी०बी० 02-पी०डी० 01-ओ० एल० 01-अन्य	(क)-दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता- 02 (ख)- बधिर और श्रवण शक्ति में हास- 02 (ग)- प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता – 01 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता और (ङ)- खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अन्धता सम्मिलित है -01
----	---	-----	--	---

प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विकलांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों के सापेक्ष जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे अभ्यर्थियों को स्तम्भ-5 में विकलांगता की श्रेणी (क)/(ख)/(ग)/(घ)/(ङ), में से, जिनसे वे सम्बन्धित हैं, के लिए विचार किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जो (क)/(ख)/(ग)/(घ)/(ङ) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और स्तम्भ-4 में दिए गए संकेताक्षरों के कारण आवेदन नहीं कर सके हैं वे अपना आवेदन निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक-20-07-2019 तक आवेदन कर सकते हैं।

  
 (बिपिन कुमार मिश्र)  
 परीक्षा नियंत्रक।